भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

25.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 765 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना

765. श्री बाबू राम निषाद:
श्री नरहरी अमीन:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री मोकरिया रामभाई:
श्री नरेश बंसल:
श्री बृज लाल:
डा. सुधांशु त्रिवेदी:
श्री मयंककुमार नायक:
श्री राजीब भट्टाचार्जी:
श्री केसरीदेव सिंह झाला:
श्रीमती माया नारोलिया:
डॉ. कविता पाटीदार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस पहल के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में पहचाने गए स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच में सुधार लाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अपनाए गए उपाय क्या हैं और ये 'सुगम्य भारत अभियान' के साथ किस प्रकार संरेखित हैं;

(ग) क्या एबीएसएस 'एक स्टेशन एक उत्पाद' (ओएसओपी) पहल को एकीकृत करने का कार्य करती है और इसका रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय कारीगरों, शिल्पों और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(घ) गुजरात में एबीएसएस के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे स्टेशन कौन-कौन से हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) गुजरात में ओएसओपी के तहत प्रचारित किए जा रहे स्थानीय उत्पाद कौन-कौन से हैं और कारीगरों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अब तक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से

11 स्टेशन उत्तराखंड राज्य में और 87 स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित हैं। उत्तराखंड और गुजरात राज्यों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
उत्तराखंड	11	देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की, टनकपुर।
गुजरात	87	अहमदाबाद, आणंद, अंकलेश्वर, असारवा, बारडोली, भचाउ, भक्तिनगर, भाणवड, भरुच, भाटीया, भावनगर, भेस्तान, भीलडी, बिलिमोरा जंक्शन, बोटाद जंक्शन, चांदलोडिया, चोरवाड रोड, डभोई जंक्शन, दाहोद, डाकोर, डेरोल, ध्रांगध्रा, द्वारका, गांधीधाम, गोधरा जंक्शन, गोंडल, हापा, हिम्मतनगर, जाम जोधपुर, जामवणथली, जामनगर, जूनागढ़ जंक्शन, कलोल जंक्शन, कानालुस जंक्शन, करमसद, केशोद, खंभालिया, किम, कोसंबा जंक्शन, लखतर, लींबडी, लीमखेड़ा, महेमदावाद खेडा रोड, महेसाना जंक्शन, महुवा, मणिनगर, मीठापुर, मियागाम करजन जंक्शन, मोरबी, नडियाद जंक्शन, नवसारी, न्यू भुज, ओखा, पड़धरी, पालनपुर जंक्शन, पालीताना, पाटन, पोरबंदर, प्रतापनगर, राजकोट जंक्शन, राजुला जंक्शन, साबरमती बीजी, साबरमती एमजी, सचिन, सामाख्याली, संजन, सावरकुंडला, सायन, सिद्धपुर, सीहोर जंक्शन, सोमनाथ, सोनगढ़, सूरत, सुरेंद्रनगर, थान, उधना, उदवाडा, उमरगांव रोड, ऊंझा, उत्राण, वडोदरा, वापी, वटवा, वेरावल, विरमगाम, विश्वामित्री जंक्शन, वांकानेर

गुजरात राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य के 18 स्टेशनों (डाकोर, डेरोल, हापा, जाम जोधपुर, जामवणथली, कानालुस जंक्शन, करमसद, कोसंबा जंक्शन, लींबडी, महुवा, मीठापुर, मोरबी, ओखा, पालीताना, राजुला जंक्शन, सामाख्याली, सिहोर जंक्शन, उत्राण) पर चरण-I का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं और उपरोक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

उत्तराखंड:

- रामनगर स्टेशन पर, शौचालय ब्लॉक, पुराने स्टेशन भवन का सुधार, प्रतीक्षालय, प्रांगण का निर्माण, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करना, यात्री आरक्षण प्रणाली भवन का विस्तार, परिचलन क्षेत्र का विकास, नए प्लेटफार्म शेल्टर, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, भू-दृश्यांकन

और दिव्यांगजन सुविधाओं के लिए स्पर्शनीय पथ, वाटर बूथ, कम ऊँचाई वाले टिकट काउंटर, पार्किंग और रैम्प का कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य शुरू हो चुका है।

- काशीपुर जंक्शन स्टेशन पर, आधुनिक शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र का सुधार, पार्किंग, प्रांगण का निर्माण, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करना और उसकी सतह में सुधार करने का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन, दिव्यांगजन सुविधाओं और लिफ्ट का सुधार कार्य शुरू हो चुका है।

- लालकुआं जंक्शन स्टेशन पर, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करना और उसकी सतह में सुधार करना, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग का सुधार, वाटर बूथ, संकेतकों, प्रकाश व्यवस्था, स्टेशन भवन का सुधार कार्य पूरा हो चुका है। 12 मीटर पैदल पार पुल और दिव्यांगजन सुविधाओं का कार्य शुरू हो चुका है।

गुजरात:

- दाहोद स्टेशन पर स्टेशन भवन का सुधार, नए प्रांगण का निर्माण, परिचलन क्षेत्र का सुधार, बुकिंग काउंटर और प्रतीक्षालय का सुधार, प्रतीक्षालय का सुधार, प्लेटफार्म क्रमांक 1 को ऊंचा करना, नए प्लेटफार्म शेल्टर, स्टेशन की रोशनी में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। नए 12 मीटर पैदल पार पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- न्यू भुज स्टेशन पर नए मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, नया प्रांगण, एयर कॉनकोर्स का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवनों की फिनिशिंग, पैदल पार पुल का निर्माण, प्लेटफार्म में सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- असारवा स्टेशन पर नए स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, प्लेटफार्म क्रमांक 1 की प्लेटफार्म की सतह में सुधार, प्लेटफार्म शेल्टर, प्रतीक्षालय का सुधार, पुराने स्टेशन भवन का सुधार पूरा हो चुका है। नए स्टेशन भवन की फिनिशिंग, 12 मीटर पैदल पार पुल और पार्किंग एवं शौचालयों के सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और प्लेटफार्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टीमोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए अपने रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, भारत के राजपत्र में "दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित और अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं जैसे प्रवेश रैम्प, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई वाली टिकट खिड़की/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैम्प/लिफ्टों के साथ भूमिगत पैदल पारपथ/ऊपरी पैदल पुल, ब्रेल संकेतकों सहित मानक प्रदर्श-व्यवस्था और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय पथ आदि का प्रावधान किया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधि आबंटन का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार। यात्री सुविधाओं का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत किया जाता है।

उत्तराखंड राज्य दो क्षेत्रों, अर्थात् उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। वर्ष (बजट अनुमान 2025-26) के लिए योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए इन क्षेत्रों को निधि आबंटन ₹ 2,543 करोड़ है।

गुजरात राज्य दो ज़ोनों, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे, के अंतर्गत आता है। योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए इन ज़ोनों को वर्ष (बजट अनुमान 2025-26) के लिए ₹1,843 करोड़ का निधि आबंटन किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

'एक स्टेशन एक उत्पाद' (ओएसओपी) योजना रेल मंत्रालय की एक स्वतंत्र योजना है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पाद के लिए एक बाजार प्रदान करना और रेल यात्रियों को भारत की धरोहर विरासत का अनुभव कराना और स्थानीय/स्वदेशी उत्पादों को खरीदने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, भारतीय

रेल स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन, बिक्री और उच्च दृश्यता प्रदान करने के लिए देश भर के रेलवे स्टेशनों पर ओएसओपी आउटलेट (स्थिर स्टॉल/पोर्टेबल ट्रॉलियां) उपलब्ध कराती है।

दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1984 स्टेशनों पर ओएसओपी योजना क्रियान्वित है जिनमें 2297 आउटलेट कार्यरत हैं।

गुजरात के स्टेशनों पर जिन उत्पाद श्रेणियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनमें वारली चित्रकला, नारियल कॉयर क्राफ्ट, तोरण, कढ़ाई, ज़री ज़रदोज़ी का काम, बंधेज, अजरक प्रिंट, मठिया, हथकरघा काम - खादी के कपड़े, मनके वाले आभूषण, ग्रामोद्योग उत्पाद, रबाड़ी कढ़ाई कार्य, काथा वर्क, मोची वर्क, जूट, मिट्टी के सामान, मिट्टी का काम, आयुर्वेदिक और हर्बल केयर, कॉयर उत्पाद, लकड़ी के खिलौने, हैंडबैग, बेल्ट, पर्स, स्वयं सिले उत्पाद और कलमकारी प्रिंटिंग शामिल हैं। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ के कारण कारीगरों को आजीविका और बाजार में पहुंच मिल रही है।
